संख्याः 206/XXIV-3/11/02(32)09

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 24 मार्च, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2010–11 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के संचालन हेतु राज्यांश की धनराशि की व्यय करने की अनुमति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः अर्थ–1/83147/5क(01)/08/2010–11 दिनांकः 05फरवरी, 2011 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की अनावर्ती अनुदान में रू0 112705000/– तथा आवर्ती अनुदान में रू0 27574000/– इस प्रकार कुल धनराशि रू0 14,0279000/–(रूपये चौदह करोड़ दो लाख उन्यासी हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्याः 1878/XXVI–3/10/02 (36)2010, दिनांकः 04 जनवरी, 2011, द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0152000000/– में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैः

2. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष की नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों /सुसंगत शासनादेशों के तहत नियमानुसार निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगाः–

1. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों/ शर्तो के आलोक में शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
2. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
3. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
4. मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि का एकमुश्त आहरण कर बैंक ड्राफ्ट निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराया जायेगा।

क्रमशः.....2

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के अधीन लेखा शीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा 800–अन्य व्यय,–आयोजनागत, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाऐं, 0101–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, 20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 760(P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2010–11, दिनाँकः 21 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 206(1)/XXIV-3/11/02(32)2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– अनुसचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी,।
4– निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड़।
5– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– निजी सचिव, सचिव, विद्यालय शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
7– समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
8– निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड़ ।
11– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
12– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
13– वित्त विभाग–3/ नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
14– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनुसचिव।